

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

5

पत्रांक : ९९ / प्र०३०—मवन / जोन २ / २०१३-१४ दिनांक ३१ / १० / २०१३

अनुमति-पत्र










यह अनुपमि लाला० नगर पियोजना तथा विकास अधिनियम 1973 को पाला १४ & १५ के अन्तर्गत सीलिंग है, जिसु उसी महीने २८ जनवरी १९७३ को इसकी भूमि के राष्ट्रभूमि में किलो पर प्रस्तावित अवधारणायिक/आवासीय व्यवस्था मानाचिह्नित रद्दोकृत किया जा रहा है, इससे पिल्ली प्रकार ४ किलो रखने के लिए व्यवस्था द्वारा दूर का रखायी रखिएगी तथा लालिंग अधिकारी वा लालिंग अधिकारी के महिलाओं और बिल्ली का लोई ऊरा पड़ेगा व्यवस्था तथा यह ३-५ वर्ष किसी के प्रिलिङ्गता या त्वानित्व के जायेकारों के लिल्ले कोई प्रभाव न रखेगा।

श्रीमती शानमती श्रीवास्तव मध्ये स्व० गोरी शंकर श्रीवास्तव व श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव ह्यां मुकामां नं०-145/213 रोशन बाग, इलाहाबाद ल०१८ संख्या (२) के अन्तर्गत व्यवसायिक/आवासीय धनन नेन्हिं की अनुमते हेतु दाखिल नाम नानदित्र के प्रस्तावत गाग वर निर्णय श्री अनुमते नैमंकित उत्तिव्यों के अधीन धनन की जाती है :-

- उपरोक्त नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 135 (1) के अनुसार सूचिता प्रणाली पत्र प्राप्त होने के पश्चात दी उमीदेव/अधिकारी नियम जारी, अगले निम्नांग एवं विकास उपरोक्त 2008 में उपलब्धि चौथा—2-1.8 एवं 3.1.8 से नियांसित प्रक्रिया दूर कर पूर्णा प्रणाली एवं प्राप्त करना आवश्यक है।
 - इस विवृति अन्तिम (Provisional) स्थौरता के रूप में हो। नियम दूर होने के उपरान्त एक अन्तर्गत Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त सूचि करने के पश्चात नियम के द्वारा दी गयी पूर्णा प्रणाली पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिवर्तन को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
 - खल पर 4X3 फिल का एक बोर्ड लगाकर स्थौरता राखनी की विवरण शक्ति करना होगा।
 - खल पर 02 अद्वय पूर्ण लगाने होने तथा नूडो को द्वारा-परा खेने का शारिल अवैदेक का हो।
 - भवन का आईटीनो/उपयोग स्थौरता प्रस्तरण के अनुसार ही करना जाएगा, जिसे भूतल पर राप, ग्राव एवं छिटीय तरह पर आवारीय नियम अनुमत्य दिया जा रहा है।
 - प्रविकरण हारा नियम न गान्तरण पत्रांल 228, 227/र.प.स्व./एन०-ज०३०/विषय/०३-१४ दिनों का 10.2013 में उक्ति प्रतिवक्त्वों का आवारा अनुवात फैला होगा।
 - पूर्ण नियंत्रण दाये को दुखात इन्जीनियर वी देख रखने में ध्यान लगाना होगा, जिससे जन-पन वी छनि न देने पाये।
 - गान्तरीय व्याधात्र में कोई दाघ होने अवधि स्टाफ़ होने की रिपोर्ट में प्रदर्श स्थौरता गान्तरीय व्याधालय के नियंत्रण के ढारीन हों, स्वार्थित राष्ट्रपती किसी भी विवाद पर गान्तरित स्थान नियरा रामगढ़ जायेगा।
 - यदि डायेक दृष्टि कोई गहरवाही भूक्ता विपरी गयो है अवधि रखने की वी हो तो उद्दृत नार नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 लो धारा 15 (1) के अन्तर्गत मानवित्र नियरा लगने चाहिये जाए।
 - पूर्ण स्थौरता पत्र कोगां वीय वी की ढारणे के लिए है।
 - नियंत्रण से बढ़े नाटी के रुक्क की पठाई जाधवा स्ट्रक्ट या नाली को किसी भाग (जैसे गम्भीर के वायर भाग, पृष्ठ भाग अथवा उल्के आकार के गम्भीर ढक रहे हो) को छनि पूर्वे तो गहराई हैंपर हो जाने पर 10 दिन के रीतार जाधवा एवं विकास प्राविकलन ने एक लोअर रूपना दूर और रीप कहा तो परदे द्वारा उसे अपने खारे से सम्मत कराकर दूर्वा-३ वर्षा विचारे विकास प्रिलिङ्ग को रखाया हो जाए, मैं कर दें।
 - यह नियम द्वारा इसका वी व्याप रखना होगा कि मासीध विद्युत अधिनियम 1953 (ट्रायिलर इन्विट्रुट्टरी लल्ल 1863) द्वारा 22 का उल्लंघन किसी वी दाया में न जाना चाहिए। यदि विकास प्राविकलन को जानकारी में रेसे नामले दाये गये तो वह ऐसा नियंत्रण को दीक जाधवा हड्डा राखना होगा।
 - आवेदक को नियमनुसार विकास प्राविकलन को मकान वी नीव तक तथा एवं एक बन जाने एवं उपरोक्त पूर्व हो जाने की भूक्ता नवार आवाद होने से दूरी देना होगा तथा उस जासूसी के नाम भी देना होगा जिसके नियोजन में न-जान नियंत्रण हुआ है।
 - यदि नियंत्रण में नारातर प्लान का उल्लंघन होता पाय गया तो नियंत्रण को दी गई स्थौरता एवं समझी लायेगी और विकास व्याप नानकिल्लूत गौंवित का उल्लंघन अधिनियम वी धारा 27 (1) के अन्तर्गत के विवरी आम की जासूसी।

(केएक्सॉ सिंह)

प्रभाती अधिकारी (१८८०-२)
इलाहाबाद विकास न्यायिकालय



DOOR	AREA DETAIL	SLN
D-1	TOTAL AREA (12'X12') FT	144
D-2	PROPOSED CWD. ON GROUND FLOOR	61.35
W-1	PROPOSED CWD. ON FIRST FLOOR	61.35
W-2	PROPOSED CWD. ON 2nd FLOOR	61.35
V-1	OPEN AREA	7.30
V-2	MUNTY AREA	10.51
L-1	TOTAL GROUND FLOOR	107.1
CENTRED TO TOTAL AREA		
TOTAL GROUND FLOOR AREA 107.1 M		

ONE STORY BLDG.

PROPOSED COMMERCIAL RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON
HOUSE NO-145/200 OF PLOT NO-LIII OF KOSHAN KHAN KA
BAGI, HOUSING SCHE ME, KOSHAN BASH, A LLAHABAD
OWNER: SMT GYALMATI SRIYASTAVA WIDOW GUPTA SWARAK
SRI J.P. SRIVASTAVA SLLP (GURU CHARAN SRIVASTAV)

STAMP BY [Signature]

Stamp by [Signature]

RAMCHANDRA
MUNTY
Proposed Building
K.L.A. 2000
ACCT NO. 707